

## वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

From: Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2024 से प्रभावी

संशोधित दरं - के संबंध में।

Sub : Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees -

effective from 01.01.2024 -reg.

## महोदया/Madam / महोदय/Sir,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 12.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/1/2024-ई.II(बी) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Office Memorandum No. 1/1/2024-E-II (B) dated 12.03.2024 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax: 91-11-23714788 Gram: CONSEARCH, NEW DELHI Website: http://www.csir.res.in सं. 1/1/2024-ई.॥(बी) भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग

> •\*\*\* नॉर्थ ब्लॉक. नई दिल्ली

> > दिनांक: 12 मार्च, 2024

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2024 से प्रभावी संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 20 अक्तूबर, 2023 के का.ज्ञा. सं. 1/4/2023-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन के 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा।

- 2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।
- 3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
- 4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।
- 5. महंगाई भत्ते के बकायों का भुगतान मार्च, 2024 के वेतन के संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
- 6. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- 7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(राम गोपाल)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)। प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार। No. 1/1/2024-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi Dated the 12<sup>th</sup> March, 2024

## OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employeeseffective from 01.01.2024.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4/2023-E-II (B) dated 20<sup>th</sup> October, 2023 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from 46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1<sup>st</sup> January, 2024.

- 2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7<sup>th</sup> CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
- 3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).
- 4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.
- 5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2024.
- 6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.
- 7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

(Ram Gopal)

Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.